तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18.03.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी (वादी संख्या 2) जसविन्द्र सिह पुत्र श्री सरदारा सिंह जाति जटसिख निवासी बजीतपुरा भोमा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा प्रस्तुत न कर प्रार्थना पत्र अ.आ. 7 नियम 11 व्य.प्र.सं. इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी द्वारा अपने वाद में प्रश्नगत आराजी चक 9 केएसडी के खाता संख्या 68/50 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में 0.258 है. कृषि भमि चक 9 केएसडी के खाता संख्या 89/50 ज.स. 2070–73 में 0.102 है. कृषि भूमि इसी चक 9 केएसडी के खाता संख्या 90/79 ज.स. 2070–73 में 0.101 है. इसी चक 9 केएसडी के खाता संख्या 91/80 ज.स. 2070–73 में 0.170 है. कृषि भूमि, इसी चक 9 केएसडी के खाता संख्या 92/98 ज.स. 2070–73 में 0.608 है. कृषि भूमि तथा चक 3 आईडीजी के खाता संख्या 63/58 ज.स. 2071–74 में 0.2107 है. में दर्ज कृषि भूमि में वादी का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नही है। क्योकि दिनांक 29.11.2011 को वादी प्रेम सिह तथा प्रतिवादी संख्या 1 तरसेम सिह ने प्रतिवादी संख्या 2 प्रार्थी के पक्ष में दस्तावेज दस्तवरदारी उप पंजीयक कार्यालय संगरिया के पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 338 के पृष्ठ संख्या 185 क्रम संख्या 2011002864 पर पंजीबद्व किया गया जो एक रजिस्ट्रर्ड एवं प्रमाणित दस्तावेज है। जिसका नामन्तरण राजस्व अभिलखे में नियमानुसार किया जा चुका है। तथा वादी स्वंय उपस्थित होकर प्रतिवादी संख्या 2 प्रार्थी के पक्ष में अपना समस्त हक व हिस्सा का परित्याग कर दिया है। तथा दिनांक 29.11.2011 को जरिये रजिस्ट्रर्ड वसीयत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माता तथा प्रतिवादी संख्या 3 की नानी स्व. रणजीतकौर ने अपने समस्त हक व हिस्से का अपने जीवन काल में ही अपने सगे पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Meena
Date: 2024.04.2
Reason: SelfAtte

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुक्म या कार्यवाही सब इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रतिवादी संख्या 2 जसविन्द सिह व अपने दोहिती प्रतिवादी संख्या 3 अमनदीप कौर के पक्ष में कर दी थी। जिसका नामान्तकरण राजस्व अभिलेख में भी हो चुका है। तथा उक्त दोनो दस्तावेजो पर वादी ने आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही की है। उभौल उभयपक्ष बहस प्रार्थना पत्र अ.आ.7 नियम 11 सीपीसी पर सुनी गई। बहस तथ्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। चूकि वादी अपने हिस्से का रजिस्टर्ड हकत्याग पूर्व में ही प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में कर चुका है। प्रस्तुत वाद में कोई वाद हेतुक उत्पन्न नही होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अ.आ.7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी वाद खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
खण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kuma
Meena
Date: 2024.04.26 11:24:04 IST
Reason: SelfAttested